

फर्द अहकाम

मुख्य न्यायाधीशनाम सुदीप शर्मा

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या ...../D.../2024 ज. प. ट. इ.

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/01/26	<p>वकुलाये फरीकैन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 02/02/26 पेश हो।</p> <p>पत्रावली दिनांक 02/02/26 के संबंधित कलकत्ता पत्र कार्रज हो चुका है अतः अ. प. ट. इ. का कोई अस्तित्व नहीं है इस लिए अ. प. ट. इ. इसी स्तर पर कार्रज किया जाता है पत्रावली डेसल सुमा होल दर्ज नम्बरों पर ही बात साबित सफ्त हो।</p>	
	02/02/26	<p>उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)</p>	